न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 04/2014

प्राथी		विप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र बंशीलाल जाति सोनी निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा	बनाम	1. ग्राम पंचायत पाटोदी जरिये सरपंच 2. संगीता देवी पत्नी अशोक कुमार जाति ओसवाल निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 74 दिनांक 20.4.2013 जो ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 संगीता देवी के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 15.6.2016

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 74 दिनांक 20.4.2013 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का खरीदसुदा एवं कब्जासुदा मकान ग्राम पाटोदी में आया हुआ है, जिसके उत्तर में आम रास्ता है। इस आम रास्ते की भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 20.4.2013 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत, नियम विरूद्व पट्टा जारी किया है। प्रार्थी के पट्टासुद मकान के उत्तर में आम रास्ते की भूमि का पट्टा विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया, जिस पर विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा लोहे का फाटक लगातार उसे अवरुद्व कर दिया गया। विप्रार्थी संख्या 01 ने विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 74 जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 व नियम 168 की पालना नहीं की गई, पट्टा जारी करने से पूर्व मौका

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई एवं न ही आपत्तियॉ आमंत्रित की प्रार्थी का यह कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 157 (2) के जारी किया गया पट्टा को निरस्त किया जावें।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत पाटोदी से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया गया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण के पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित रहे। प्रार्थी द्वारा उसके पट्टासुद मकान जिसके उत्तर में आम रास्ता है, उक्त आम रास्ते की भूमि जो पूर्व में आवागमन हेतु खुली थी, वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त रास्ते की भूमि के बीच में लोहे का फाटक लगाकर उसे बन्द कर दिया है, को हटाने का निवेदन किया है। सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी ने अवगत कराया कि अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कर दी गई थी। अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 20.4.2013 को जारी किया गया पट्टा नियमानुसार सही है। वस्तुतः प्रार्थी का प्रकरण आम रास्ते पर फाटक लगा कर किये गये अतिक्रमण हटाने का है, ग्राम पंचायत उक्त अतिक्रमण को शीघ्र हटवा देगी।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 को यह पट्टा नियम 156(1)(ख) के तहत जारी करना बताया। नियम 156(1) के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा भूमि का विक्रय करने का प्रावधान है एवं उप नियम (क) अनुसार पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्रावईट बातचीत से विक्रय के जरिये अंतरित कर सकेगी जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नही हो सकती है, उप नियम (ख) अनुसार जहॉ कोई अतिचार हो या लेखबद्व किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा। नियम 156 (2) अनुसार किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियम और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत पाटोदी ने अप्रार्थी संख्या 02 को राशि रूपये 200/– कीमतन पर पट्टा जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत पाटोदी के कथनानुसार सही है। प्रार्थी का प्रकरण उसके पट्टासुद मकान जिसके उत्तर में आम रास्ता है, जो भूमि पूर्व में आवागमन हेतु खुली थी, वर्तमान में विप्रार्थी

न्यायालय अपर कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

संख्या 02 द्वारा उक्त रास्ते की भूमि के बीच में लोहे का फाटक लगाकर उसे बन्द कर अतिक्रमण किया गया है,

6. उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर चूंकि ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा आम रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया है। अतः पट्टा यथावत रखा जाता है। निगरानी वास्ते पट्टा निरस्त करने खारिज की जाती है। आबादी भूमि में आम रास्ते व गली में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रार्थी संबंधित ग्राम पंचायत में नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश कोर्ट केम्प पचपदरा में आज दिनांक 15.6.2016 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)